ADB एशियाई विकास बैंक

भारत : वित्त मंत्रालय के सहायता लेखा और लेखापरीक्षा प्रभाग की क्षमता निर्माण

परियोजना का नाम	भारत : वित्त मंत्रालय के सहायता लेखा और लेखापरीक्षा प्रभाग की क्षमता निर्माण
परियोजना की संख्या	45016-001
देश	भारत
परियोजना की स्थिति	सक्रिय
परियोजना प्रकार/ सहायता की विधि	तकनीकी सहायता
निधीयन का स्रोत/राशि	**TA 9471- भारत : वित्त मंत्रालय के सहायता लेखा और लेखापरीक्षा प्रभाग की क्षमता निर्माण** तकनीकी सहायता विशेष निधि यूएस डॉलर 725,000.00
रणनीतिक कार्यसूची	समावेशी आर्थिक विकास शासन और क्षमता विकास ज्ञान समाधान
परिवर्तन के प्रेरक	
सेक्टर/उप–सेक्टर	**सूचना और संचार प्रौद्योगिकी** – आईसीटी रणनीति और नीति तथा क्षमता विकास
लैंगिक समानता और मुख्यधारीकरण	कोई लैंगिक तत्व नहीं
विवरण	प्रस्तावित ज्ञान और समर्थन तकनीकी सहायता (केएसटीए) का आशय वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के अधीन सहायता लेखा और लेखापरीक्षा प्रभाग (एएएडी), आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) को लोक ऋण प्रबंधन और निधि प्रवाह परिचालन के सुदृढ़ीकरण द्वारा इसकी संस्थागत क्षमता के सुदृढ़ीकरण में सहायता प्रदान करना है। प्रस्तावित तकनीकी सहायता का उद्देश्य सिस्टम री–इंजीनियरिंग, आईटी अवसंरचना के अद्यतन बाह्य ऋण प्रबंधन के साथ संबंधित कार्य प्रक्रिया के स्वचलन ; एएएडी पदाधिकारियों के लिए विशेष प्रकार के प्रशिक्षण ; बेहतर निधि प्रवाह तथा ऋण प्रसंविदा अनुपालन के लिए विभिन्न हितधारकों की क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण ; तथा विद्यमान निधि प्रवाह तंत्र का अध्ययन और त्वरित एवं सुधारीकृत निधि प्रवाह तंत्र के उपायों की पहचान करना है।
परियोजना तर्काधार और देश/क्षेत्रीय रणनीति के साथ संबंध	वर्तमान में सरकारी विभागों के भीतर अधिकांश व्यवसायिक प्रक्रियाएं पत्र–आधारित कार्यप्रवाह के साथ मैनुअल हैं, जिनमें भौतिक हैंडऑफ तथा दस्तवेजों का आदान–प्रदान शामिल है। इस पेपर–आधारित कार्यप्रवाह को समाप्त किए जाने की जरूरत है और इसके स्थान पर समय बचाने तथा पेपर संचालन की लागत कम करने के लिए दस्तावेज इलेक्ट्रानिक माध्यम से भेजने की आवश्यकता है। इन परिवर्तनों से प्रक्रिया कुशलता बढ़ेगी, गलतियां कम होंगी तथा अनावश्यक प्रक्रिया विलम्बों से बचा जा सकेगा। देश के वर्द्धित अवसंरचना निवेश के लिए बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय ऋणों तथा सरकार द्वारा अनुदानों की प्राप्ति के एक अपेक्षाकृत बड़े पोर्टफोलियो की आवश्यकता होगी। इस

	संदर्भ में, एएएडी उन प्रमुख विभागों में एक है, जिसको संवर्द्धित आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी। एएएडी सरकार द्वारा सभी बाह्य निधि स्रोतों (बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय) से प्राप्त किए गए सभी ऋणों तथा अनुदानों के व्यापक लेखा अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार होगा। एएएडी के वित्तीय लेन–देन कार्यकलापों को सरल एवं कारगर बनाने तथा दिन–प्रतिदिन के कार्यों में उच्चतर कुशलता हासिल करने के लिए, तकनीकी सहायता का उद्देश्य ऋण प्रबंधन के लिए आईटी प्रणालियों को आधुनिक बनाना है : एक नयी एकीकृत कम्प्यूटरीकृत प्रणाली (आईसीएस) विकसित की जाएगी तथा एएएडी के कार्यों के अनुरूप बनाई जाएगी – एएएडी की क्षमता निर्माण गतिविधियां संचालित करना : सरकार में विभिन्न हितधारकों के लिए अद्यतित प्रशिक्षण मैनुअल तथा लेखापरीक्षा अनुपालन पर एक कार्यशाला संचालित की जाएगी। ऋण प्रबंधन में सर्वश्रेष्ठ पद्धतियां समझने ; कार्यात्मक कार्य प्रवाह दस्तावेज के रीडिजाइन के लिए एएएडी पदाधिकारियों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन दौरा आयोजित किया जाएगा। यह दस्तावेज एएएडी में प्रयुक्त सभी दैनिक प्रक्रियाओं का विस्तृत विवरण ; विद्यमान निधि प्रवाह तंत्र का अध्ययन उपलब्ध कराएगा। अध्ययन रिपोर्ट का उद्देश्य लम्बी प्रक्रियाओं का आकलन करना तथा उन विधियों का अन्वेषण करना है, जिनके द्वारा ईएपी निधि प्रवाह तंत्र को सार रूप में सरकारी प्रक्रिया दिशानिर्देशों का उल्लंघन किए बिना उपयुक्त बनाया जा सकता है।
प्रभाव	सरकारी बजटीय व्यवस्था प्रणाली अंकीय और आर्थिक रूप से सुदृढ़ीकृत।
परियोजना परिणाम	
परिणाम का वर्णन	बाह्य सहायित परियोजनाओं (ईएपी'ज) हेतु व्यावसायिक प्रक्रियाओं तथा निधि प्रवाह के प्रबंधन में एएएडी की क्षमता वृद्धि।
परिणाम की दिशा में प्रगति	परियोजना सलाहकार सह निरीक्षण परामर्शदाता पीएएससी की नियुक्ति के लिए अभिरूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) एडीबी की वेबसाइट पर 9 फरवरी, 2018 को विज्ञापित की गई थी, जिसको प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 19 मार्च, 2018 थी। लघु सूचीबद्ध फर्म्स को प्रस्ताव हेतु अनुरोध, सरकार से सहमति प्राप्त करने के के बाद, जारी किया जाएगा।
कार्यान्वयन प्रगति	
परियोजना आउटपुट्स का विवरण	1. ऋण प्रबंधन हेतु आईटी सिस्टम्स आधुनिकीकृत किए गए 2. एएएडी हेतु क्षमता निर्माण गतिविधियां संचालित की गईं। 3. एएएडी के कार्य संबंधी कार्य प्रवाह दस्तावेज पुनर्अभिकल्पित किए गए। 4. विद्यमान निधि प्रवाह तंत्र पर अध्ययन तैयार किया गया
कार्यान्वयन प्रगति की स्थिति (आउटपुट्स, गतिविधियां तथा मुद्दे)	
भौगोलिक अवस्थिति	राष्ट्रव्यापी
पर्यावरण संबंधी तथा सामाजिक मुद्दों का सारांश	
पर्यावरण पहलू	
अस्वैच्छिक पुनर्वास	
स्वदेशी लोग	

स्टेकहोल्डर संचार, प्रतिभागिता और परामर्श	
परियोजना डिजाइन के दौरान	
परियोजना कार्यान्वयन के दौरान	
व्यवसाय के अवसर	
परामर्शी सेवाएं	परियोजना सलाहकार परामर्शदाता (पीएसी)
	एकीकृत कम्प्यूटरीकृत प्रणाली (आईसीएस) के क्रियान्वयन तथा अनुरक्षण के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर
प्राप्य	लागू नहीं
जिम्मेदार एडीबी अधिकारी	सरकार, कृशेन्दु बी
जिम्मेदार एडीबी विभाग	दक्षिण एशिया विभाग
जिम्मेदार एडीबी प्रभाग	इण्डियन रेजीडेंट मिशन
निष्पादक अभिकरण	वित्त मंत्रालय (सहायता लेखा और लेखापरीक्षा प्रभाग) 5th फ्लोर, बी विंग, जनपथ भवन जनपथ, नयी दिल्ली 110 001 भारत
समयसारणी	
अवधारणा मंजूरी	17 अगस्त 2017
तथ्य अन्वेषण	-
एमआरएम	-
अनुमोदन	15 दिसम्बर 2017
अंतिम पुनरीक्षा मिशन	-
अंतिम पीडीएस अद्यतन	27 मार्च 2018

TA 9471- भारत

मील के पत्थर

अनुमोदन	हस्ताक्षर की तिथि	प्रभावित तिथि	अनुमोदन समापन		
			मूल	संशोधित	वास्तविक
15 दिसम्बर 2017	02 फरवरी 2018	02 फरवरी 2018	31 दिसम्बर 2020	-	-

वित्तपोषण योजना/तकनीकी सहायता उपयोग							संचयी संवितरण		
एडीबी	सहवित्तपोषण	प्रतिपक्ष				कुल	तिथि		राशि
		Gov	लाभार्थी	प्रोजेक्ट का प्रायोजक	अन्य				
725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00	15 दिसम्बर 2017		0.00

परियोजना पृष्ट	https://www.adb.org/projects/45016-001/main
सूचना के लिए अनुरोध	http://www.adb.org/forms/request-information-form?subject=45016-001
निर्माण की तिथि	14 मई 2018

परियोजना डेटा शीट्स (पीडीएस) में परियोजना अथवा कार्यक्रम पर संक्षिप्त जानकारी दी गई है: क्योंकि पीडीएस प्रगति–में–कार्य होता है, इसके आरंभिक संस्करण में कुछ जानकारी सम्मिलित नहीं होना संभव है, परंतु यह उपलब्ध होते ही जोड़ दी जाएगी। प्रस्तावित परियोजनाओं के बारे में जानकारी अनंतिम एवं संकेतात्मक है।

एशियाई विकास बैंक इस परियोजना डेटा शीट (पीडीएस) में दी गई जानकारी इसके उपयोगकर्त्ताओं के लिए, किसी भी प्रकार के आश्वासन रहित संसाधन मात्र के रूप में उपलब्ध कराता है। यद्यपि एशियाई विकास बैंक उच्च गुणवत्ता की विषयवस्तु उपलब्ध कराने का प्रयास करता है, तदपि जानकारी विपण्यता, विशेष प्रयोजन हेतु उपयुक्तता और अनतिक्रमण की सीमांकन वारंटियों सहित किसी भी प्रकार की वारंटी, अभिव्यक्त अथवा अभिप्रेत, के बिना "जैसी है" आधार पर उपलब्ध कराई जाती है। एशियाई विकास बैंक ऐसी जानकारी की सटीकता अथवा पूर्णता के संबंध में विनिर्दिष्ट रूप से कोई वारंटी अथवा अभिवेदन प्रस्तुत नहीं करता है।